

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 76/2022

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

1. वासुदेव पुत्र लाधाराम जाति दर्जी निवासी गडरारोड़ जिला बाड़मेर (मैसर्स पार्वती प्रोवीजन स्टोर, गडरारोड़ जिला बाड़मेर फर्म का मालिक)
2. सरस्वती देवी पत्नी कांतिलाल जाति महेश्वरी निवासी रॉय कॉलोनी जिला बाड़मेर (सोल प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स राणामल कांतिलाल एण्ड क. कल्याणपुरा बाड़मेर)
3. नरसिंगा राम पुत्र मोतीराम निवासी खत्रियों का वास बालेसर जोधपुर (सोल प्रोपराईटर ऑफ मैसर्स खत्रीजी स्वीट्स, न्यू सुपर मार्केट बालेसर जिला जोधपुर)


परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री गौरव खत्री अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.07.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य  कि



अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स पार्वती प्रोवीजन स्टोर, गडरारोड़ जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 22.08.2012 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500ग्राम) जो कि एक कार्टून में लगभग 20 डिब्बों में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार दो किलोग्राम 500-500 ग्राम के कुल चार डिब्बे अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500ग्राम) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1728 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500ग्राम) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500ग्राम) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने मौखिक जवाब में प्रकट किया कि नमूना जाँच में खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार का अपमिश्रण नहीं पाया गया है तथा न ही मानव स्वास्थ्य के लिये किसी प्रकार से हानिकारक हैं, लिहाजा नरमी का रूख अपनाया जावें।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 30.08.2022 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में प्रतिरक्षण के रूप में कोई ठोस जवाब



प्रस्तुत नहीं किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रु. 25,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 18.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर